सरकार के पास धारावाहिकों सम्बन्धी लम्बित पड़े हुए प्रस्ताव

2418. श्री शंकर दयाल सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के पास स्वीकृति हेतु लम्बित धारावाहिकों के प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या धारावाहिकों को स्वीकृति प्रदान करने के लिए कोई दिशानिर्देश है अथवा कोई समिति है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) सरकार द्वारा कोई धारावाहिक स्वीकृत नहीं किया जाता है। धारावाहिकों का चयन करना दूरदर्शन की सतत गतिविधि है। दूरदर्शन की समय-समय पर आवश्यकताओं को देखते हुए धारावाहिकों के प्रस्तावों का चयन किया जाता है।

(ख) जी, हां। सरकार द्वारा नई प्रायोजन स्कीम और कमीशंड कार्यक्रमों के अंतर्गत जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों की मुख्य बातें विवरण-1 और विवरण-2 में दी गई हैं।

विवरण-1

दिनांक 1.10.1990 से लागू प्रायोजित कार्यक्रमों के लिए नये मार्गदर्शी सिद्धान्तों की मुख्य-मुख्य बातें।

1. ये मार्गदर्शी सिद्धान्त सरकार द्वारा दिनांक 1.10.1990 को जारी किये गये हैं। ये आगामी आदेशों तक अथवा उस समय तक, जब तक प्रसार भारती द्वारा नये मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी नहीं कर दिए जाते, इनमें से जो भी पहले हो प्रभावी होंगे।

2. दूरदर्शन, कुछ समय के वास्ते अपनी अपेक्षाओं के अनुसार, आवश्यकतानुसार ऐसे विषयों तथा ऐसी किस्म के कार्यक्रमों के जो बाहरी निर्माताओं से बनवाए जाने आवश्यक समझे जाते हैं, प्रस्ताव आमंत्रित करता है। ऐसे प्रस्तावों के लिए आवश्यक अंतराल पर प्रत्येक बार नेटवर्क पर उपयुक्त घोषणाएं की जाती है।

3. प्रायोजित कार्यक्रम के लिए प्रस्तावों में अनिवार्य रूप से निम्नलिखित जानकारी होगी :-

(क) कहानी का कड़ियों का ब्यौरा और निरूपण की स्थूल रूप रेखा

(ख) प्रत्येक कड़ी की पूर्ण रूप रेखा

(ग) कम से कम 4 कड़ियों का परिदृश्य लेखे स्क्रिप्ट; और

(घ) निर्माण दल का पूर्ण विवरण

4. प्रत्येक प्रस्ताव के साथ प्रसंस्करण शुल्क के रूप में 2000/- रुपये का रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर भेजा जायेगा और पुनर्विचार की अपील के 3000/- रुपये होगी।

5. प्रायोजित कार्यक्रमों के लिए प्राप्त सभी प्रकार से पूर्ण प्रस्तावों को विषयवार विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जायेगा और इन प्रस्तावों को प्रत्येक विषय विशेष पर प्रायोजित कार्यक्रम के लिए काफी समय से दूरदर्शन की अपेक्षाओं के बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए चयन समिति के सम्मुख रखा जायेगा ताकि प्रत्येक श्रेणी में अपेक्षित संख्या में प्रस्तावों का चयन किया जा सके।

6. चयन समिति में संबंधित अपर/उपमहानिदेशक और सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमोदित पैनल

में से कम से कम 3 गैर-सरकारी सदस्य होंगे जिनमें एक महिला होगी।

7. ऐसा कोई भी निर्माता जिसका प्रस्ताव चयन समिति द्वारा अस्वीकार कर दिया गया हो, अस्वीकृति पत्र प्राप्त होने से एक माह के अन्दर-अन्दर पुनर्विचार के लिए अपील कर सकता है और अस्वीकृत प्रस्ताव पर पुनरीक्षण समिति द्वारा पुनर्विचार किया जायेगा जिसका निर्णय अंतिम होगा।

8. धारावाहिक की स्लाटिंग केवल तभी की जाती है जब पहली 4 कड़ियां हर प्रकार से संतोषजनक पायी जाती हैं।

9. उपयुक्त संशोधनों के साथ मार्गनिर्देश प्रादेशिक केन्द्रों में प्रायोजित कार्यक्रमों पर भी लागू होते हैं।

विवरण–2

प्रादेशित (कमीशंड) कार्यक्रमों के दिशा-निर्देशों की मुख्य बातें

1. किसी विषय विशेष पर प्राप्त सभी प्रस्तावों पर दूरदर्शन द्वारा एक ही बार विचार किया जाएगा जिसमें विषय वस्तु कार्यक्रम के फार्मेट, प्रतिपादन और आलेख को ध्यान में रखा जाएगा तथा ऐसे प्रस्ताव चुने जाएंगे जो दूरदर्शन की कार्यक्रम संबंधी आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त होंगे।

2. प्रादेशित कार्यक्रम के प्रस्ताव के साथ कहानी का कड़ियों के अनुसार विवरण और प्रत्येक कड़ी का सारांश होना चाहिए। आवेदन करते समय आवेदक को 2,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट प्रस्तुत करना होता है। यदि प्रस्ताव का आधार कोई कृति है तो प्रकाशित कृति के कापीराइट धारक की सम्पत्ति के साथ निर्माण दल का बायो-डाटा भी पेश किया जाना चाहिए।

3. दूरदर्शन द्वारा प्राप्त सभी प्रस्तावों की पावती भेजी जाएगी और उन प्रस्तावों को मूल्यांकन समिति के समकक्ष रखा जाएगा।

4. मूल्यांकन समिति प्रस्ताव की जांच करेगी और निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर स्वीकृति का निर्णय लेगी –

(क) कहानी अथवा विषय की दूरदर्शन की आवश्यकता के अनुरूप प्रासंगिकता।

(ख) विषय/कहानी का प्रतिपादन

(ग) प्रसारण संहिता के अनुरूप होना।

(घ) निर्देशक, निर्माता, लेखक/निर्माण दल आदि का पूर्व रिकार्ड।

(ङ) किसी निर्धारित समय अथवा भविष्य में दूरदर्शन की आवश्यकताएं।

(च) निर्माण की आवश्यकताओं की तुलना में उपलब्ध बजट व्यवस्था। यह अनुमान लगाते समय उपस्करों के किराए यात्राओं, पेशेवर लोगों की फीस, वेश-भूषा, शूटिंग स्थल, अनुसंधान आदि के खर्च की वर्तमान लागत को ध्यान में रखा जाएगा।

(छ) प्रस्तावित कार्यक्रम केन्द्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड द्वारा सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों के प्रमाणन के वास्ते निर्धारित मार्गनिर्देशों के अंतर्गत आते हों।

5. महानिदेशक मूल्यांकन समिति के अध्यक्ष होंगे।

6. मूल्यांकन समिति के सदस्य ये होंगे—अध्यक्ष, तीन गैर सरकारी व्यक्ति, संबंधित उप महानिदेशक, उप महानिदेशक (आदेशित कार्यक्रम) और अपर महानिदेशक (प्रशासन)।

7. मूल्यांकन समिति कड़ियों की संख्या और कड़ियों की अवधि और निर्माण लागत का निर्णय करेगी।

8. आवेदक उसे दी गई राशि की बैंक गारंटी देगा।

9. भुगतान निम्नलिखित अनुसार किया जाएगा :—

(1) करार पर हस्ताक्षर किए जाने और बैंक गारंटी दिए जाने के बाद कुल लागत का 10 प्रतिशत।

(2) रफ अंशों के अनुमोदन के बाद कुल लागत का 50 प्रतिशत।

(3) अंतिम प्रिंटों की सुपुर्दगी और अनुमोदन के समय कुल लागत का 20 प्रतिशत।

(4) नेगेटिव, साउंड ट्रेक, फोटोग्राफ, आलेख की प्रतियां आदि प्रस्तुत करने की औपचारिकताएं पूरी होने पर कुल लागत का 20 प्रतिशत।

उपर्युक्त समय अनुसूची के अनुसार भुगतान की रकम जारी करते समय दूरदर्शन द्वारा 2 प्रतिशत के हिसाब से आयकर की रकम स्रोत पर काट ली जाएगी।

10. निर्माता को दूरदर्शन द्वारा निर्धारित समय सीमा का अनुपालन करना होगा, ऐसा न करने पर दूरदर्शन बैंक गारंटी का सहारा ले सकता है।

11. मूल्यांकन समिति कार्यक्रम के रफ अंशों का पूर्वालोकन करेगी।

12. किसी विवाद अथवा असहमति की स्थिति में सूचना और प्रसारण सचिव एकमात्र मध्यस्थ होंगे।

13. कार्यक्रम सौंपने के लिए दूरदर्शन निर्माताओं के पूर्व रिकार्ड के आधार पर पैनल बना सकता है।

हिन्दी फिल्मों में से निकाले गए अश्लील अंश

2419. **श्री शंकर दयाल सिंह :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991 के वर्ष के दौरान फिल्म सेंसर बोर्ड ने कौन-कौन सी हिन्दी फिल्मों से अश्लील अंशों को निकाला था; और

(ख) क्या फिल्म सेंसर बोर्ड ने किसी फिल्म को अश्लीलता के कारण प्रमाणपत्र देना रोक दिया था; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37) और उसके अन्तर्गत जारी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार भारत में, सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जाने वाली सभी फिल्मों की जांच केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा की जानी होती है। इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार, प्रमाणीकरण के लिए फिल्मों की जांच करते समय, बोर्ड को अन्य बातों के साथ-साथ, यह सुनिश्चित करना होता है कि अशिष्टता, अश्लीलता और भ्रष्टता के कारण मानवीय संवेदनशीलता को किसी प्रकार की ठेस न पहुंचे। बोर्ड के आठ क्षेत्रीय कार्यालय हैं। फिल्मों से अश्लील अंशों को निकाले जाने के विशिष्ट कारणों के बारे में एकीकृत रूप से सूचना नहीं रखी जाती। वर्ष 1991 के दौरान जिन हिन्दी फीचर फिल्मों में से अश्लील दृश्य निकालने के बाद मंजूरी प्रदान की गई, उनके नाम विवरण-I में दिए गए हैं।